न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील संख्या — 32/2018

जी.सी.एम.एस नम्बर — 2018/00019

अपीलांटः— **बनाम रेस्पोंडेंट्सः—**

1. कानाराम पुत्र सेसाजी जाति सिरवी, निवासी मौखमपुरा तहसील बाली जिला पाली राजस्थान

1. श्रीमति भीकी बेवा सेसाजी उम्र बालिग, जाति सिरवी निवासी मौखमपुरा तहसील बाली जिला पाली राजस्थान

उपस्थितिः—

1. श्री लक्ष्मण के चौधरी, विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 493 दिनांक 06—01—2015 जो तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत को निरस्त कराने बाबत्

—:आदेशः— दिनांक 02-09-2021

1. अपीलांट ने यह प्रार्थना—पत्र धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट कानाराम व उसके भाई रामाराम के नाम से सरहद मौजा मौखमपुरा के पुराने खसरा नम्बर 141 रकबा 51 बीघा 5 बिस्वा की कृषि भूमि में से 15 बीघा 6 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय—विलेख के तारीख 21.05.1976 को खरीद की गई। वक्त खरीद दोनों भाई नाबालिग होने से जरिये कुदरती वलीया माता मुस्मात् भीकी विधवा सेसाजी के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय—विलेख तहरीर व तकमील हुआ था। मौजा मोखमपुरा तहसील बाली का भू—प्रबन्ध का कार्य सम्वत् 2037 में सम्पन्न हुआ और सम्वत् 2037 के बाद पुराना खसरा नम्बर 141 में से अपीलाण्ट व उसके भाई रामा की खरीदशुदा भूमि के कब्जे अनुसार खसरा नम्बर 509/262 रकबा 2.08 हैक्टेयर दर्ज हुई। बाद में अपीलाण्ट व उसके भाई रामा ने खसरा नंबर 509/262 रकबा 2.08 हैक्टेयर में से रकबा 0.08 हैक्टेयर का आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया जिसका नामान्तकरण संख्या 140 दर्ज किया गया। जिसका इन्द्राज हाल सेटलमेन्ट के बाद बनी जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 में दर्ज है। सम्वत् 2055 के बाद बनी जमाबन्दियों में खसरा नम्बर 509/262 रकबा 2.00 हैक्टेयर किस्म जाव दोयम व चाही दोयम अपीलाण्ट काना व भाई रामा पिसरान् सेसा नाबालिग की वली माता भीकी बेवा सेसा कौम सीरवी, साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज रहा है। चुंकि काना व रामा दोनों सम्वत् 2052 के पूर्व ही बालिग हो गये थे। जिस कारण उन दोनो ने आपसी सहमति से भूमि का बंटवाड़ा किया है। लेकिन बंटवाड़ा के पूर्व एवं बंटवाड़ा के बाद भी राजस्व मूल रेकर्ड जमाबन्दी में दोनों भाईयों के खातेदार में नाबालिग की वली माता भीकी बेवा सेसा का नाम दर्ज चलता रहा है। सन् 2014 में अपीलाण्ट व उसके भाई रामा बालिग होने से उनकी माता भीकी का नाम बहैसियत वली से हटाने हेतु तहसीलदार बाली के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र व दस्तावेज अनुसार प्रार्थी/अपीलाण्ट को बालिग होना मानते हुए

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

तदनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया है। जिस आदेश दिनांक 24.11.2014 की पालना में तत्कालीन पटवारी हल्का मौखमपुरा ने सरासर गलत, गैर कानूनी व प्रारम्भ से शून्य (Void ab- intio-void) नामान्तरकरण संख्या 493 भरा। जिसके तहत काना, रामा पिसरान् सेसा, भीकी बेवा सेसा कौम सीरवी, साकिन देह खातेदार का नाम दर्ज किया और तहसीलदार, बाली ने दिनांक 06.01.2015 को नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 493 दिनांक 06–01–2015 को खारिज फरमाया जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

3. रेस्पोडेण्ट्स वकील बहस के द्वौरान अनुपस्थित रहें।

4. बहस अपील अपीलाण्ट की सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये बहस के द्वौरान निवेदन किया कि अपीलाण्ट व उसके भाई रामाराम के नाम से ग्राम मौखमपुरा, तहसील बाली के पुराने खसरा नम्बर 141 रकबा 51 बीघा 05 बिस्वा की कृषि भूमि में से 15 बीघा 06 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख दिनांक 21.05.1976 को खरीद की गई। वक्त खरीद दोनों भाई नाबालिग होने से जरिये कुदरती वलीया माता मुस्मात् भीकी विधवा सेसाजी के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख तहरीर व तकमील हुआ था। मौजा मौखमपुरा तहसील बाली का भू–प्रबन्ध का कार्य सम्वत् 2037 में सम्पन्न हुआ और सम्वत् 2037 के बाद पुराना खसरा नम्बर 141 में से अपीलाण्ट व उसके भाई रामा की खरीदशुदा भूमि के कब्जे काश्त अनुसार खसरा नम्बर 509/262 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा हैक्टेयर दर्ज हुई। तत्पश्चात् अपीलाण्ट व उसके भाई रामा ने रकबा 2.08 हैक्टेयर में से रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया जिसका नामान्तकरण संख्या 140 दर्ज किया गया। जिसका इन्द्राज हाल सेटलमेन्ट के बाद बनी जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 में दर्ज है। सम्वत् 2055 के बाद बनी जमाबन्दियों में खसरा नम्बर 509/262 रकबा 2.00 हैक्टेयर किस्म जाव दोयम व चाही दोयम अपीलाण्ट काना व भाई रामा पिसरान् सेसा नाबालिग की वली माता भीकी बेवा सेसा, कौम सीरवी, साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज रहा है। अपीलाण्ट व उसका भाई रामा दोनों ही सम्वत् 2052 के पूर्व ही बालिग हो गये थे। जिसके रहते उन्होंने आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया है। लेकिन बंटवाड़ा के पूर्व एवं बंटवाड़ा के बाद भी राजस्व मूल रेकर्ड जमाबन्दी में दोनों भाईयों के खातेदार में नाबालिग की वली माता भीकी बेवा सेसा का नाम दर्ज चलता रहा है। सन् 2014 में अपीलाण्ट व उसके भाई रामा बालिग रहते उनकी माता भीकी का नाम बहैसियत वली से हटाने हेतु तहसीलदार बाली के समक्ष प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश किया। तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र व दस्तावेज अनुसार प्रार्थी/अपीलाण्ट व भाई रामा को बालिग होना मानते हुए तद्नुसार नामान्तरकरण दर्ज करने पटवारी हल्का मौखमपुरा को दिनांक 24.11.2014 को आदेशित किया। जिसकी पालना में तत्कालीन पटवारी हल्का मौखमपुरा ने सरासर गलत, गैर कानूनी एवं रेकर्ड के विपरित प्रारम्भ से शून्य (Void ab-intio-void) अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 493 भरा गया। जिसके तहत काना, रामा पिसरान् सेसा, भीकी बेवा सेसा कौम सीरवी, साकिन देह खातेदार का नाम दर्ज किया और भू–अभिलेख निरीक्षक ने आदेश व रेकर्ड की बिना जाँच अपनी रिपोर्ट कर दी तथा तहसीलदार, बाली ने भी अपने आदेश व राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना ही दिनांक 06.01.2015 को अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया, जिससे अपीलाण्ट उपरोक्त खरीदशुदा भूमि 509/262 रकबा 2.00 हैक्टेयर में स्थित अपने 1/2वां हक–हिस्से की जगह 1/3वां हक–हिस्से का खातेदार दर्ज हो गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण के

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

जरिये राजस्व रेकर्ड इन्द्राज से अपने विधिक हक–हिस्से से वंचित होना पड़ रहा है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरण प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त करने योग्य है।

6. बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में जैर नामान्तरकरण के जरिये अपीलाण्ट की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख के खरीद भूमि में निहित अपने विधिक 1/2वां हक–हिस्से से वंचित करने का प्रश्न होने से गुणावगुण पर निर्णय हेतु अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है। ग्राम मौखमपुरा, तहसील बाली के हाल खसरा नम्बर 509/262 रकबा 2.00 हैक्टेयर की आराजी अपीलाण्ट व उसके भाई रामा के नाम से खरीदशुदा है, जिसमें अपीलाण्ट का 1/2वां हक–हिस्सा विधिक रूप से निहित है। परन्तु पटवारी हल्का मौखमपुरा द्वारा तहसीलदार, बाली के आदेश व रेकर्ड का सही रूप से अवलोकन नहीं कर जैर नामान्तरण भरना था एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को भी जांच करके रैकर्ड से मिलान कर रिपोर्ट करनी थी तथा तहसीलदार बाली द्वारा पक्षकारों को सुनकर विधिक प्रक्रिया को पूर्ण कर एवं अपने आदेश का अवलोकन कर जैर नामान्तरण स्वीकृत करना था जिसकी पालना नहीं की गई जिससे अपीलाण्ट अपने नाम की खरीद सम्पत्ति में निहित अपने हक–हिस्से एवं अधिकारों से वंचित हो रहा है। इस कारण से जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं गुणावगुण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। मौजा ग्राम मौखमपुरा तहसील बाली का स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 493 दिनांक 06.01.2015 तहसीलदर बाली द्वारा स्वीकृत किया गया है को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख दिनांक 21.05.1976 एवं राजस्व रेकर्ड तथा अपीलाण्ट बालिग होने के संबंधित दस्तावेजों की पूर्ण एवं सहीं जांच कर विधि अनुरूप तरीके से नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे। तहसीलदार, बाली को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

यह आदेश आज दिनांक 02-09-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)